१४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
31/1/2014	**न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा** **मिस पिटीशन संख्याः** 165/2013 राम चन्द्र सिंह —— पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक वनाम राज्य —— रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी **–:आदेशः–** प्रस्तुत वाद रामचन्द्र सिंह आवेदक द्वारा, सहरसा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 10530/12 में दिनांकः 22.02.2013 ई0 को पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में करते है कि समाहर्त्ता, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 14.11.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्या 172/11 दिनांक 12.12.2011 को दायर किया गया था जो दिनांक 22.12.2011 को खारिज हो गया था वो उक्त पुनरीक्षण वाद में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या 10530/12 दायर किया गया था जिसक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2013 को रिमांड किया गया है। उक्त आलोक में पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक द्वारा यह वाद इस न्यायालय में दायर किया गया है। संक्षेप में मामला यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप है कि जॉच के समय दूकान बन्द पाया गया । दूकान पर सूचना पट्ट	

नहीं था। उपभोक्ताओं को सामान की अपूर्ति कम कर पैसा अधिक लिया जाता है तथा विकेता के द्वारा सामान को धोखा से बेच दिया जाता है। विकेता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्राप्त अनुशंसा पर विकेता से अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 1055/गो0 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसे आवेदक श्री राम चन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 14.08.2011 को प्राप्त किया गया है। विकेता राम चन्द्र सिंह द्वारा निर्धारित समय पर अपना जबाब अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा को दाखिल नहीं करने, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तर कटैया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में वर्णित आरोप एवं अनुशंसा तथा उपभोक्ताओं के द्वारा दिये गये बयान के क्रम में तथा विभागीय निदेश के आलोक में श्री रामचन्द्र सिंह, जन वितरण प्रणाली विकेता, पंचायत– पंचगछिया, प्रखंड– सतरकटैया की अनुज्ञप्ति को ज्ञापांक 349–2 दिनांक 18.08.2011 द्वारा रद्द कर दी गयी वो आवेदक द्वारा उसके विरूद्ध समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष अपील दाखिल किया गया जिसे 14.11.11 को खारिज कर दिया गया ।

पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते हैं कि गॉव की गन्दी राजनीति और वर्तमान मुखिया जिसके विरूद्ध कई आपराधिक वाद लंबित हैं के द्वारा झूठा एवं बनावटी परिवाद पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तर कटैया के समक्ष दिनांक 03.08.13 दाखिल किया गया और उसी आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तरकटैया के निदेशानुसार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तरकटैया द्वारा उसी झूठा आवेदन के आधार पर जॉच प्रतिवेदन तैयार किया गया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि तीन या चार व्यक्तियों के द्वारा ही अन्य व्यक्तियों के नाम के सामने अंगूठा का निशान/हस्ताक्षर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगेय भी कथन करते हैं कि उपभोक्ताओं एवं लाभार्थियों के बीच निर्धारित मात्रा में उचित कीमत पर सामग्रियों की आपूर्ति करते रहे हैं। दिनांक 03.08.11 को जॉच की बात कही गयी है जिस दिन को आवेदक गंभीर रूप से बिमार थे और सुपौल हास्पीटल में ईलाज कराने गये हुए थे और एतद संबंधी सूचना पट्ट पर लगा दिया गया था परन्तु जॉच पदाधिकारी ने इसे नजर अंदाज कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया।

पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे कथन करते हैं कि दिनांक 10.08.11 को अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आवेदक को नोटिश निर्गत किया गया वो आवेदक बिमार हो गये थे और चिकित्सक द्वारा पूर्णतया बेड रेस्ट का परामर्श दिया गया और आवेदक को उपरोक्त नोटिश काफी विलम्ब से प्राप्त हुआ और दिनांक 18.08.11 को अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय में कारण पृच्छा एवं प्रासंगिक कागजात के साथ पहुँचे तो उक्त कागजात नहीं लिया गया और बताया गया कि कारण पृच्छा के अभाव आदेश पारित किया जा चुका है।

पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे कथन करते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा दिनांक 18.08.11 को पारित आदेश के विरूद्ध विज्ञ समाहर्त्ता, सहरसा के

समक्ष अपील वाद संख्या 103/11–12 दाखिल किया गया परन्तु विज्ञ समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा बिना बिचार किये अपील वाद को खारिज कर दिया गया ।

पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे कथन करते हैं कि उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया है कि विकेता का व्यवहार उपभोक्ताओं के साथ कुशल नहीं है, उपभोक्ताओं को कम सामान की आपूर्ति की जाती है तथा अधिक पैसा लिया जाता है। आगे यह भी आरोप है कि जॉच के समय दूकान बन्द पाया गया, दूकान पर सूचनापट्ट नहीं था, एवं उपभोक्ताओं के सामान को धोखा से कालाबाजारी कर बेच दिया जाता है परन्तु न ही परिवाद पत्र में और न ही जॉच प्रतिवेदन यह स्पष्ट किया गया है कि विकेता द्वारा कितनी कम मात्रा में आपूर्ति की जाती थी और कितना अधिक पैसा लिया जाता है। इस विन्दु पर अस्पष्ट एवं अनिश्चित कथन है और कैशमेमो की प्रति एवं वितरण पंजी में दर्ज मात्रा एवं उसकी राशि उसे झूठा साबित करता है वो उपभोक्ताओं के सामान को कालाबाजारी में बेचने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है बल्कि यह अनुमान एवं शंका पर आधारित है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अनुमंडल पदाधिकारी एवं विज्ञ समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा इस विन्दु पर कोई विचार नहीं कर आदेश पारित कर दिया गया।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में सरकार के पक्ष में बहस करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित बतलाते हैं।

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकनोरांत यह परिलक्षित होता है कि–

1. *स्पष्टीकरण में पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर जबाब देने के लिए निदेश दिया गया था जिसे श्री राम चन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 14.08.13 को स्वयं प्राप्त किया गया है, परन्तु विकेता श्री सिंह द्वारा न ही निर्धारित समय तक कोई जबाब दिया गया और न ही जबाब देने हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी से कोई समय की याचना की गयी है, इससे विकेता द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना परिलक्षित होता है।*

2. इलाज के लिए जाने से पूर्व दूकान बन्द रहने की सूचना संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन अथवा दूरभाष के माध्यम से दिया जाना चाहिए था। श्री सिंह द्वारा समय पर सूचना नहीं दिया जाना मनमानेपन का द्योतक प्रतीत होता है।

3. पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक द्वारा दाखिल कुछ व्यक्तियों का शपथ पत्र के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उक्त शपथ–पत्र अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद का है जो after thought है।

4. पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक यथाकथित रूप से बीमार थे। इलाज के बाद न ही निम्न न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में fit for light or heavy work संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

5. इसके पूर्व भी अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के **ज्ञापांक 602–2 दिनांक 08.10.2002** के द्वारा श्री रामचन्द्र सिंह, ज0 वि0 प्र0 विकेता पंचायत– पंचगछिया, प्रखंड–सत्तरकटैया की अनुज्ञप्ति रद्द

की गयी थी, जिसमें उक्त विक्रेता के विरूद्ध *एक आरोप दुकान पर सूचना पट्ट नहीं पाया जाना था*, इससे प्रतीत होता है कि आरोपी द्वारा निम्नन्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष आरोप के संबंध में किया गया कथन गलत प्रतीत होता है ।

7. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तर कटैया के जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि '' उपभोक्ताओं ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है जो सत्य है। उपभोक्ता ने बयान में लिखा है वह सही प्रतीत होता है।''

6. श्री सिंह के विरूद्ध लगाए गये आरोप प्रमाणित है एवं उक्त आरोप अनुज्ञप्ति शर्त्तो के प्रतिकूल है।

पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक अपना दावा इस न्यायालय में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। जहॉ तक ग्रामीणों द्वारा शपथ पत्र द्वारा अनियमितता नहीं बरतने का प्रश्न है, ये सभी शपथ पत्र fabricated है क्योंकि सभी शपथ पत्र अनुज्ञापन पदाधिकारी और अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुज्ञप्ति के रद्द करने के आदेश पारित करने के बाद तैयार किया है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

3/1/2014
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

3/1/2014
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा